



डॉ. भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय, आगरा (पूर्ववर्ती: आगरा विश्वविद्यालय, आगरा)

पत्रांक: COE/523/2017
दिनांक: 24.08.2017

सेवा में,

प्राचार्य / प्राचार्या,
समस्त सम्बद्ध महाविद्यालय,
डॉ. भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय,
आगरा।

विषय:— अधिसूचना पत्रांक: COE/520/2017 दिनांक: 21.08.2017 Re-Exam के विस्तृत नियम।

महोदय / महोदया,

पत्रांक: COE/520/2017 दिनांक: 21.08.2017 के क्रम में अवगत कराना है कि विद्या-परिषद की बैठक दिनांक: 22.06.2017 मद संख्या-2 एवं कार्य-परिषद की बैठक दिनांक: 28.06.2017 में लिये गये निर्णयानुसार सत्र 2016-17 पुनः परीक्षा के लिए एक विषय के एक प्रश्न पत्र में ही छात्र सम्मिलित होगा नियम निम्नवत् है:—

स्नातक स्तर पर सभी संकायों/कक्षाओं के प्रत्येक विषय/ग्रुप में 35 प्रतिशत अंक उत्तीर्ण होने के लिए अनिवार्य होगा। यदि किसी छात्र का कुल योग 35 प्रतिशत है और एक विषय में अनुत्तीर्ण है तो एक प्रश्नपत्र में पुनः परीक्षा देने के लिए अर्ह होगा यह नियम अंक सुधार में भी लागू होगा। लिखित एवं प्रयोगात्मक परीक्षा में अलग-अलग 35 प्रतिशत अंक होना अनिवार्य है।

भवदीय

(कैलाश नाथ सिंह)
परीक्षा नियंत्रक

प्रतिलिपि :-

1. अधीक्षक कुलपति कार्यालय को कुलपति जी के सूचनार्थ।
2. एजेन्सी 2016-17 को इस आशय के साथ प्रेषित की महाविद्यालय की लॉगइन पर अपलोड करें एवं पुनः परीक्षा 2017 के फार्म भरवाते समय उक्त नियम के अनुसार ही प्राप्त स्वीकार किये जाये।
3. गार्ड फाइल।

परीक्षा नियंत्रक